

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा.सं. 6/26/2024-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 13.11.2025

शुद्धिपत्र अधिसूचना
मामला सं.-एडी (ओआई)-24/2024

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सौर सेल, चाहे मॉड्यूल में असेंबल किए गए हों या पैनल में बनाए गए हों' के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

एफ. सं. 6/26/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत पाटनरोधी जांच के संबंध में अधिसूचना सं. 6/26/2024-डीजीटीआर, दिनांक 29 सितंबर 2025 के माध्यम से अंतिम निष्कर्ष जारी किए हैं।

उपर्युक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित अनुच्छेद को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है -

1. अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना के अनुच्छेद 4 के बिंदु (viii) में, क्रम संख्या 74 के बाद निम्नलिखित नाम जोड़ा जाएगा:

"75. सियांग तलेसन न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड"

2. अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना के अनुच्छेद 70 में, क्रम संख्या (Ixiii) के बाद निम्नलिखित नाम जोड़ा जाएगा:

"(Ixiv)। सियांग तालेसुन न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड।"

3. अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना के अनुच्छेद 214 में, गैर-नमूनाकृत सहकारी उत्पादकों की सूची में क्रम संख्या 19 के बाद निम्नलिखित नाम जोड़ा जाएगा:

एसएन	समूह	निर्माता का नाम
20	सियांग तालेसुन	सियांग तालेसुन न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी